

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 437] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 437] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ ASVINA 7, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 701(अ)—देशीय सरकार मोटरवाहन अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 109, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तालाब निधि योजना 1982 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाने हैं: अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) यह स्कीम तालाब निधि (संशोधन) योजना, 1983 है। यह तुरन्त प्रभावी होगी।

2. तोषण निधि योजना, 1982 में,

(1) खंड 2, उपखंड (ग) में "राज्य" शब्द के बाद "या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो सब डिवीजनल आफिसर या तहसीलदार से नीचे के आहूदे से कम न हो, जैसा भी राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" शब्द रहेंगे;

(2) खंड 2, उपखंड (घ) में "राज्य" शब्द के बाद "या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त या कलेक्टर के आहूदे से कम न हो, जैसा भी राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" शब्द रहेंगे।

[फा०सं०टी डब्ल्यू/टीजीएम (28)/82]

गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 701(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 109 C of the Motor Vehicles Act, 1939, (4 of 1939), the Central Government hereby make the Scheme to amend the Solatium Fund Scheme, 1982, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Solatium Fund (Amendment) Scheme, 1983. (2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Solatium Fund Scheme, 1982;

(i) in sub-clause (c) of clause 2, after the word "State" the words "or such other officer not below the rank of a Sub-Divisional Officer or of a Tehsildar, as may be specified by the State Government" shall be inserted;

(ii) in sub-clause (d) of clause 2, after the word "State", the words "or such other officer not below the rank of a District Magistrate or of a Deputy Commissioner or of a Collector, as may be specified by the State Government" shall be inserted.

[F. No. TW/TGM(28)|82]

G. J. MISRA, Jt. Secy.